

10/13
Government of Rajasthan
Law & Legal Affairs department

No. F. 15(12)Raj./Vad./2006

Jaipur, Dated : 4-9-12

-: Order :-

In partial modification of order no. No. F. 15(12)Raj./Vad./2006 Jaipur, Dated 26.10.2010 the appearance fees and drafting and settling charges shall stand revised as under with effect from 01.09.2012

Clause B(3) of aforesaid order dated 26.10.2010 shall be substituted by the following :-

- B(3)(i) Government Council/Addl. Government Counsel/Dy. Government Counsel ₹ 560/- per day irrespective of number of cases listed in a day shall be paid as fixed fees.
- (ii) Government Advocate/Addl. Government Advocate/Dy. Government Advocate/Asst. Government Advocate / ₹ 1,000/- Per Day irrespective of number of cases listed in a day shall be paid as fixed fees.
- (iii) P.P./Sp. P.P./Addl.P.P./Addl. P.P. (Fast Track) ₹ 500/- Per Day irrespective of number of cases listed in a day shall be paid as fixed fees.

Clause (D) of aforesaid order dated 26.10.2010 shall be substituted by the following Drafting & Settling Charges :-

- | | | |
|--|---|---------------------|
| (1) Advocate General | - | ₹ 2,800/- Per Case |
| (2) Additional Advocate General | - | ₹ 2,100/- Per Case |
| (3) Government Counsel/Add. Government Counsel/Dy. Government Counsel | - | ₹ 1,000/- Per Case. |
| (4) P.P./ Addl. P.P./Spl. P.P. & Addl.P.P. (Fast Track) -
dealing with civil cases of the State Government. | - | ₹ 1,000/- Per Case |

In bunch matter drafting and settling charges for the initial case will be paid as above and for every subsequent similar case an additional fee equivalent to 10% of the initial fee shall be admissible.

These orders are being issued in concurrence with Finance Department ID. No. 101104423/FD/Exp-5/11 Dated 28.12.2011.

By Order H.E. the Governor

Sd-

(Prakash Gupta)
Principal Secretary, Law

HLA
AD/11/12
7/9/12

विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: एफ 15(6)राज./वाद/01

जयपुर, दिनांक: 14.02.2013

समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव।

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 06.07.09 को संशोधित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर हेतु माननीय महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेन्ट काउन्सिल, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/एडिशनल गवर्नमेन्ट काउन्सिल, उप राजकीय अधिवक्ता/डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल को निम्नानुसार दरें देय होंगी :-

क्र. सं.	मद	दिनांक 06.07.09 के अनुसार वर्तमान दरें।	संशोधित दरें।
1	डिक्टेसन एवं टाईपिंग चार्जज प्रति पृष्ठ	22.00	40.00
2	फोटो स्टेट चार्जज प्रति पृष्ठ	1.00	1.00
3	वकालतनामा (मय निर्धारित शुल्क एवं अधिवक्ता कल्याण कोष शुल्क के स्टाम्प)	50.00	100.00
4	फाईल कवर लेस आदि	50.00	100.00
5	शपथ-पत्र प्रमाणीकरण आदि	30.00	50.00
6	निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्ति	100.00	200.00
7	अन्य	20.00	100.00

अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/गवर्नमेन्ट प्लीडर/एडिशनल गवर्नमेन्ट प्लीडर को अधिकतम देय राशि रु. 300/--प्रति प्रकरण के अनुसार देय होगी।

शेष शर्तें विभागीय परिपत्र दिनांक 06.07.2009 के अनुसार रहेंगी।

यह परिपत्र वित्त (व्यय-5) विभाग के आई.डी.संख्या 101300513 दिनांक 13.02.2013 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किया जाता है।

उक्त दरें परिपत्र जारी होने की दिनांक से प्रभावी होंगी।

एस.डी./

(पंकज शंभारी)

शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार

निदेशाजय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक एफ 15()विधि/आईसीडीएस/07/ 39781- 33339 जयपुर दिनांक 24 4-13

समस्त उप निदेशक/सीडीपीओ/प्रभारी अधिकारियों को उक्त विधि एवं विधिक कार्य विभाग के परिपत्र दिनांक 14.02.2013 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें एवं प्रभारी अधिकारी संबंधित अभिभाषक से प्राप्त उक्तानुसार व्यय बिलों को नियमानुसार प्रमाणित करना सुनिश्चित करें।

निदेशक 14/2/13

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान जयपुर